

 महामुद्रा	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJBIL/2000/1717 J.P.C./3588/02/2003-05 RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधन प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 14, सोमवार, शाके 1927- सितम्बर 5, 2005 Bhadra 14, Monday, Saka 1927-September 5, 2005	

भाग 4 (ग)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये
गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 3, 2005

एस.ओ. 144 - राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 5) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कम्पनी ऑफ राजस्थान (आर.आई.डी.सी.ओ.आर.) के साथ निम्नलिखित सड़कों के विकास के लिए एक करार किया है :-

1. फलोदी से रामजी की गोल
2. हनुमानगढ़ से किशनगढ़
3. अलवर से सिकन्दरा
4. लालसोट से कोटा और बारां से झालावाड़

यतः अब, राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उपर्युक्त सड़कों या उनके किसी भाग/अनुभाग के उपयोक्ताओं से, इसमें इसके पश्चात् विहित दर से फीस उद्गृहीत करेगी।

यतः अब, राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उप-धारा (2) के अनुसार, राज्य सरकार सड़क अनुभागों के विकास में अन्तर्बलित व्यय और फीस के संग्रहण, विनिहित पूंजी पर व्याज, किये गये

विनिधान पर के युक्तियुक्त प्रत्यागम और यातायात के परिमाण पर विचार करने के पश्चात् इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य में उक्त सड़कों के उपयोक्ताओं से मोटरयुक्त/यांत्रिक यानों पर नीचे दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्गृहीत और संग्रहित की जायेगी, और आर.आई.डी.सी.ओ.आर. को उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार उपयोक्ता फीस संगृहीत करने और फीस संग्रहण की तारीख से ही और परियोजना कालावधि की समाप्ति तक उक्त उपयोक्ता फीस रखने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

फीस, ऊपर वर्णित सड़कों पर स्थित उपयोक्ता फीस प्लाजाओं पर संगृहीत की जायेगी।

01/11/2004 को यथा प्रवर्तनीय टोल फीस की दरें निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	यानों के वर्ग	पुलों, सुरंगों और उन बाईपासों के लिए जिनकी लम्बाई 20 और सड़कों के कि.मी. से अधिक है लिए जिनकी स्तम्भ-3 में वर्णित दरों के लम्बाई 20 कि. मी. तक है, प्रति फीस प्रति यान प्रति कि.मी. रु. में) (प्रथम 20 फीस की दरें कि.मी. तक स्तम्भ -3 की नियत दरें लागू होंगी)	उन बाईपासों और सड़कों के लिए जिनकी लम्बाई 20 और सड़कों के कि.मी. से अधिक है लिए जिनकी स्तम्भ-3 में वर्णित दरों के लम्बाई 20 कि. मी. तक है, प्रति फीस प्रति यान प्रति कि.मी. रु. में) (प्रथम 20 फीस की दरें कि.मी. तक स्तम्भ -3 की नियत दरें लागू होंगी)
1	2	3	4
1.	(क) गैर-कृषि उपज का वहन करने वाले ट्रैक्टर सहित ट्रैक्टर (कृषि उपज का वहन करने वाली और ऐसे प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत ट्रैक्टर ड्राली द्वारा कोई कर संदेय नहीं होगा। टैम्पो, कार, टैक्सी, प्राइवेट कार,	4.20 14.00	0.112 0.35

1	2	3	4
2.	मोटर लारी, बस, मिनीबस और अन्य भारी मशीनरी	35.00	0.896
3.	(क) 5 (पाँच) टन रजिस्ट्रीकृत लदान सहित वजन के ट्रक	47.60	1.176
	(ख) 5 (पाँच) टन से अधिक रजिस्ट्रीकृत लदान सहित वजन के ट्रक	71.40	1.778
4.	बहु धुरीय ट्रक/ट्रेलर	117.60	2.954

टिप्पणी :-

1. लदान सहित और लदान रहित यानों से फीस प्रभारित की जायेगी।
2. उचित दरें प्रत्येक दो वर्ष में 5 रु. के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित करके 10% बढ़ाई जायेगी। परन्तु प्रथम पुनरीक्षण केवल 10% बढ़ोतरी के साथ 01/04/2007 से लागू होगी।
3. निम्नलिखित यानों के सम्बन्ध में कोई फीस संदेय नहीं होगी या संगृहीत नहीं की जायेगी :-
 - रक्षा विभाग के यान
 - पुलिस विभाग के यान
 - अग्नि शमन यान
 - एम्बुलेंस
 - अंत्येष्टि यान
 - केन्द्रीय और राज्य सरकार के यान
 - माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के यान
 - संसद और विधान सभाओं के आसीन सदस्यों के यान
 - संघ लोक सेवा आयोग के यान
 - राज्य लोक सेवा आयोग के यान
 - लोकायुक्त, पंचायत समितियों और स्थानीय निकायों के यान

4. आनुपातिक फीस का भाग विशिष्ट सड़क प्रसार में प्रस्तावित सड़क की लम्बाई के 50 प्रतिशत से अधिक के संनिर्माण के पश्चात् ही उद्गृहीत किया जायेगा परन्तु कम से कम 50 कि.मी. लम्बे सड़क प्रसार का निर्माण हो गया हो।
5. आर.आई.डी.सी.ओ.आर. इस अधिसूचना का सार दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायेगा। (जिनमें एक जून भाषा का समाचारपत्र होगा), जिसमें इस अधिसूचना के उपबन्धों के अनुसार, फीस संग्रहण की तारीख भी फीस संग्रहण तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व वर्णित करेगा। ऐसा सार इस अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित फीस को प्रभाव में लाने से कम से कम दस दिन पूर्व, प्रत्येक फीस पुनरीक्षण के समय दोहराया भी जायेगा।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :-

- (1) "फीस संग्रहण तारीख" से आर.आई.डी.सी.ओ.आर. के साथ किये गये करार के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वह तारीख अभिप्रेत है जिससे किसी सड़क या उसके भाग के उपरोक्तताओं से फीस संगृहीत की जायेगी।
- (2) "परियोजना कालावधि" से जी.ओ.आर., आर.आई.डी.सी.ओ.आर. और आई.एल. एवं एफ.एस. (इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एवं फाइनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड) के बीच किये गये भागीदारी और विकास करार के चालू रहने के दौरान की कालावधि अभिप्रेत है।

[संख्या प.8(21)सानि/2004/पार्ट-I]

एम. एस. शर्मा,
उप शासन सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान
शासन सचिवालय, जयपुर।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, September 3, 2005

S.O. 144:- In exercise of the powers conferred by section 5 of the Rajasthan Road Development Act, 2002 (Act No. 5 of 2002), the State Government has entered into an agreement with Road Infrastructure Development Company of Rajasthan (RIDCOR) for development of the following Roads :-

1. Phalodi to Ramji-Ki-Gol
2. Hanumangarh to Kishangarh
3. Alwar to Sikandra
4. Lalsot to Kota & Baran to Jhalawar

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Road Development Act, 2002, the State Government, shall levy fees, at rates prescribed hereinafter, on the users of the above Roads or in any part/section thereof.

NOW THEREFORE, as per sub-section (2) of section 5 of Rajasthan Road Development Act, 2002, the State Government having considered the expenditure involved in the development of road sections and collection of fees, interest on the capital invested, reasonable return on investment made and the volume of traffic, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on motorized/mechanical vehicles from the users of the said roads in the State of Rajasthan at the rates specified in the Schedule below, and authorizes RIDCOR to collect user fees in accordance with the rules made under the said Act and retain the said user fees on and from the Fees Collection Date and till the termination of Project Period.

SCHEDULE

The fees shall be collected at use fees plazas located on the roads mentioned above.

Rates of the toll fee enforceable as on 01/11/2004 is as

below :-

S. No.	Categories of Vehicle	Fee rates per vehicle per trip for bridges, tunnels & those by-passes and roads whose length is upto 20 km. (in Rs.)	Fee rates per trip/km. payable after rates stated in Col. 3 for those bye-passes and roads whose length is more than 20 kms. (upto first 20 kms. the fixed rates of Col. 3 shall be applicable) (Rs. per km.)
1	2	3	4
1.	(a) Tractors with trolleys carrying non-agricultural produce (No Tax is payable by tractor trolleys carrying agricultural produce and registered for such purpose) Tempo, Cars, Taxis, Private Cars, Jeeps.	4.20 14.00	0.112 0.35
2.	Motor lorries, Buses, Mini-Buses and other heavy machinery	35.00	0.896
3.	(a) Trucks with registered laden weight upto 5 (five) tonnes (b) Trucks with registered laden weight more than 5 (five) tonnes	47.60 71.40	1.176 1.778
4.	Multi-axle trucks/trailors	117.60	2.954

Note :-

1. Fees shall be charged for laden and un-laden vehicles.
2. The above rates shall be increased by 10% every 2 years, rounded off to the nearest multiple of Rs. 5, provided that the 1st revision would be made effective from 01/04/2007, with 10% increase only.

3. No fee shall be payable or collected in respect of the following vehicles namely:-

- Vehicles of Defence Department
- Vehicles of Police Department
- Fire Fighting Vehicles
- Ambulances
- Funeral Vehicles
- Central and State Government Vehicles
- Vehicles of Hon'ble Supreme Court and High Courts
- Vehicles of sitting Members of Parliament and State Legislatures
- Vehicles of Union Public Service Commission
- Vehicles of State Public Service Commission
- Vehicles of Lok Ayukta, Panchayat Samities and Local Bodies.

4. The part of proportionate fee shall be levied only after construction of more than 50 percent road length proposed in the particular road stretch, provided minimum 50 Km. road length stretch is constructed.

5. RIDCOR shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the Fees Collection Date, as per the provisions of this notification, at least ten days prior to the Fees Collection Date. Such substance shall also be repeated every time of fee revision, at least ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.

Explanation: For the purpose of this notification :-

1. "Fees Collection Date" means the date notified by the State Government as per agreement entered into with

RIDCOR from which the fees shall be collected from the users of any road or part thereof;

2. "Project Period" means the period during the currency of the Partnership and Development Agreement entered into amongst COR, RIDCOR and IL & FS (Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd.). [No. F.8(21) P.W/2004/Part-I]

एम. एस. शर्मा,

उप शासन सचिव,

सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान,

शासन सचिवालय, जयपुर।

Government Central Press, Jaipur.